सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-5070/JH/102/2025-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - धनबाद
समाहरणालय भवन, प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद, झारखंड 826001
Email Id: dc-dha@nic.in

विषय: **भू वापसी के संबंध में – श्री बिरेन्द्र हांसदा, पता-हीरापुर, चिरागोंडा डी.एस.कॉलोनी मोड़, जिला- धनबाद का दिनांक 15.05.2025 का पत्र।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण
19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री बिरेन्द्र हांसदा,
पता-हीरापुर, चिरागोंडा डी.एस.कॉलोनी मोड़,
जिला-धनबाद - 826001,
Mobile No: 9431726802

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-5070/JH/102/2025-RU-IV

भू वापसी के संबंध में – श्री बिरेन्द्र हांसदा, पता-हीरापुर, चिरागोंडा डी.एस.कॉलोनी मोड़, जिला- धनबाद का दिनांक 15.05.2025 के पत्र/अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 03.06.2026 को सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 03.06.2026
सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

संबंधित अभ्यावेदन श्री बिरेन्द्र हांसदा, पता-हीरापुर, चिरागोंडा डी.एस.कॉलोनी मोड़, जिला-धनबाद के दिनांक 15.05.2025 के पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुआ। अपने अभ्यावेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं तथा उनके पैतृक अधिकार की 1.11 एकड़ कृषि भूमि, जो मौजा संख्या 01, भूली, खाता संख्या 70 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 3341, 3342, 3344, 3347, 3353, 1588 एवं 845 में स्थित है, पर नीलकंठ पंडित सहित कुल 22 गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।अभ्यावेदन के अनुसार, उक्त विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC), धनबाद के न्यायालय में वाद संख्या 2/2016-17 के रूप में विचाराधीन रहा, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21.08.2015 को दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिनांक 21.08.2018 को आदेश पारित किया गया। LRDC न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं, को गैर-एसटी व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक एवं अवैध रूप से उनकी भूमि से बेदखल किया गया है तथा उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर याचिकाकर्ता को पुनः कब्जा दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, धनबाद को निर्देशित किया गया।इसके पश्चात, उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी पक्षकारों

द्वारा उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर), धनबाद के न्यायालय में अपील वाद संख्या 3/2018 दायर किया गया, जो कि विगत लगभग 7 वर्षों से लंबित है तथा अब तक उसका अंतिम निष्पादन नहीं हो सका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अपील के लंबित रहने के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है तथा वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। अतः याचिकाकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए ताकि लंबित अपील का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके एवं उन्हें न्यायोचित रूप से उनकी पैतृक भूमि का पुनः कब्जा प्राप्त हो सके।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2025 को उपायुक्त, धनबाद को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों की अवधि के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया आयोग के नोटिस के अनुपालन में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |

4. मामले में दिनांक 03.06.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार उपायुक्त , जिला -धनबाद (झारखंड) को सिटिंग नोटिस जारी किया गया | अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई |

5. सुनवाई में DPRO धनबाद उपस्थित रहे एंव प्रार्थीनि उपस्थित रही

6. सुनवाई के दौरान DPRO, धनबाद ने आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या-02/2016-17 (बिरेन्द्र हाँसदा बनाम नीलकण्ठ पण्डित एवं 21 अन्य) के संबंध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.01.2016 को मौजा-भूली, मौजा संख्या-01, गत खाता संख्या-70, गत प्लॉट संख्या-3341, 3342, 3344, 3347, 3353, 1588 एवं 845, कुल रकबा 1.11 एकड़ भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2018 को प्रश्नगत भूमि पर दखलकार नीलकण्ठ पण्डित एवं अन्य व्यक्तियों को उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा आवेदक को वापस दिलाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा उपायुक्त, धनबाद के न्यायालय में L.R. Appeal No.-03/2018 (नीलकण्ठ पण्डित एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य) दायर की गई थी। अपील वाद के दौरान जिला विधि शाखा, धनबाद द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया था। DPRO, धनबाद ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि L.R. Appeal No.-03/2018 को उपायुक्त, धनबाद द्वारा दिनांक 08.08.2025 को खारिज (Dropped) कर दिया गया है। फलस्वरूप भू-वापसी वाद संख्या-02/2016-17 में दिनांक 24.07.2018 को पारित आदेश प्रभावी है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त आदेश के अनुपालन हेतु वादग्रस्त भूमि, जो वर्तमान सर्वे अभिलेखों में हाल खाता संख्या-402 एवं 403 तथा संबंधित प्लॉटों में दर्ज है, का पुनः चिन्हांकन कराने के लिए दिनांक 27.05.2026 को अंचल अमीन को निर्देशित किया गया है। भूमि का चिन्हांकन पूर्ण होने के उपरांत

पर्याप्त पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई कर भूमि का कब्जा आवेदक को वापस दिलाया जाएगा।

7. मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है

I. मामले में उपायुक्त, धनबाद कार्यालय द्वारा आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान प्रकरण को आयोग में बंद किया जाएगा।

12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi